प्रथम अपील/स्पीड पोस्ट

संख्या 40-14/2013/एनडीएम-I(भाग)

भारत सरकार/गृह मंत्रालय

आपदा प्रबंधन - I अनुभाग

***

'सी' विंग, तीसरी मंजिल, एनडीसीसी-II भवन,

जय सिंह रोड, नई दिल्ली-11 001

दिनांक : 09 जुलाई, 2014

सेवा में,

श्री अजेंद्र अजय

मकान नं.15 बी, लेन नं.1, शास्त्री नगर

देहरादनू-248 001

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रथम अपील संबंधी सूचना उपलबध कराने के बारे में |

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर उत्तराखंड शासन के दिनांक 24.06.14 के पत्र 2622/XVIII-(2)/14-10(40/2014 का अवलोकन करें | उक्त पत्र की प्रति इस अनुभाग को अंतरित करते हुए बिंदु सं. 4 एवं 5 के संबंध में सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है | संदर्भित पत्र दिनांक 03.07.2014 को इस अनुभाग में प्राप्त हुआ है |

II. आपके द्वारा मांगी गई सूचना का मदवार विवरण निम्नलिखत है :-

बिंदु सं. 4 : इसका उत्तर इस अनुभाग द्वारा दिनांक 28.05.2014 के समसंख्यक पत्र के तहत पहले ही दिया जा चुका है | राज्य आपदा राहत निधि/राष्ट्रीय आपदा राहत निधि के मानदंड एवं मानक गृह मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के परामर्श के उपरांत तय किए जाते हैं | सामान्यत: मानदंडों में कोई भी संशोधन, उच्च स्तरीय समिति जिसमें माननीय कृषि मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, के अनुमोदन के उपरांत लागू होते हैं |

राज्य आपदा राहत निधि/राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से मदद क्षतिग्रस्त संपत्ति एवं भवन के अविलंब मरम्मत हेतु दी जाती है | राज्य आपदा राहत निधि/राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से सहायता हेतु बिल्डिंग को एक इकाई माना जाता है |

बिंदु सं. 5 इस प्रकार के पर्यावरण-संवेदनशील पुनर्वास प्रस्ताव इस प्रभाग द्वारा नहीं किए जाते हैं| मौजुदा नियमानुसार यह संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदाईत्व है | इस मद पर संबंधित राज्य सरकार समुचित उत्तर दे पाएंगे |

तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है |

भवदीय,

(गौतम घोष)
उप सचिव (आ.प्र.-I) एवं केजसूअ
फोन नं. 2343 8123

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. श्री प्रदीप कुमार शुक्ल, अनु सचिव/लोक सूचना अधिकारी, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास अनुभाग, उत्तराखंड शासन, 4बी, सुभाष रोड, देहरादून-248001 को उपरोक्त पत्र के संदर्भ में |
2. अनुभाग अधिकारी (आई.टी.) गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ |

उत्तराखण्ड शासन
आपदा प्रबंधन एवं पुर्नवास विभाग
संख्या–2524/18(2)/2014
देहरादून, दिनांकः 19 जून, 2014

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपील

श्री अजेन्द्र अजय, 15 बी, लेन नं0–01 शास्त्री नगर, देहरादून, उत्तराखण्ड बनाम लोकसूचना अधिकारी, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

दिनांक 02.06.2014 को इस विषय पर प्रथम अपील की सुनवाई निर्धारित की गयी थी। अपील में अपीलार्थी उपस्थित हुए। अपरिहार्य कारणों से अधोहस्ताक्षरी के उपस्थित न रहने के कारण अनुसचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अपीलार्थी से वार्ता की गयी। अपीलार्थी द्वारा मुख्य रूप से यह अनुरोध किया गया कि उनके अनुरोध पत्र में मुख्य सूचनाएं भारत सरकार से मांगी गये एवं वहीं से उनका निस्तारण किया जाना चाहिए था। उनके द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि उनकी अपील को भी भारत सरकार को प्रेषित किया जाए एवं जो जानकारी उत्तराखण्ड शासन के अधीन उपलब्ध हो, उन्हें उपलब्ध कराया जाए।

अपीलार्थी द्वारा अपना मूल सूचना पत्र लोकसूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को संदर्भित किया गया था। 05 बिन्दुओं के इस अनुरोध पत्र में से बिन्दु संख्या–03, 04 व 05 राज्य सरकार को धारा 6(3) के अंतर्गत हस्तांरित किये गये। यह बिन्दु निम्नानुसार हैं–

बिन्दु संख्या 03– *प्राकृतिक/दैवीय आपदाओं में बेघर हुए लोगों को शरणार्थियों/इनवायरनमेंटल रिफ्यूजी की श्रेणी में रखा जाता है?*

बिन्दु संख्या 04– *वर्तमान में क्षतिग्रस्त भवनों के मुआवजे के वितरण में प्रति भवन मुआवजे का प्राविधान है, जबकि कतिपय भवनों पर एक से अधिक परिवार निवास करते हैं, ऐसे में प्रत्येक बालिग सदस्य को इकाई मानने के बजाय एक भवन को एक ही इकाई मान कर मुआवजा वितरित करने का मानक किस आधार पर तय किया गया है?*

बिन्दु संख्या 05–उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2014 तक प्रदेश में भू–स्खलन/भू–धंसाव आदि की दृष्टि से संवेदनशील/अति संवेदनशील कितने गांव/कस्बों के विस्थापन व पुनर्वास के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किये गये हैं? राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को प्रेषित प्रस्ताव पर की गयी कार्यवाही का विवरण?

इन बिन्दुओं के क्रम में लोकसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 28.04.2014 को आवेदक को सूचना उपलब्ध करायी गयी। चूंकि लोकसूचना अधिकारी को दिनांक 04.04.2014 को सूचना अनुरोध पत्र मुख्य सचिव कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ। इस दृष्टि से उनके द्वारा निर्धारित 30 दिन की अवधि में सूचना दी गयी।

बिन्दु संख्या–03 के संबंध में यह सूचित किया गया कि प्रश्नों के उत्तर दिये जाने की व्यवस्था नहीं है। उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(J) के अंतर्गत धारित/नियंत्रण में उपलब्ध अभिलेखों तक नागरिक की पहुंच सुनिश्चित करने का दायित्व लोकसूचना अधिकारी का है एवं यदि वांछित सूचना के क्रम में कोई अभिलेख धारित है तो वह आवेदक को दिया जाना चाहिए। बिन्दु संख्या–03 के संदर्भ में कोई भी अभिलेख शासन स्तर पर धारित नहीं है। इसलिए सूचना को दिया जाना संभव नहीं है।

बिन्दु संख्या–04 के संबंध में भारत सरकार से यह पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन्स में मुआवजे के लिए क्षतिग्रस्त भवन को मानक रखा गया है जबकि एक भवन में एक से अधिक परिवार निवास कर सकते हैं। अतः भवन को मानक बनाने का क्या आधार है इसके क्रम में लोकसूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध भारत सरकार की गाईड लाईन की प्रति दी गयी है जो समुचित है। राज्य सरकार द्वारा आपदा, 2013 के उपरांत भवन के स्थान पर परिवार को इकाई माने जाने की व्यवस्था राज्य स्तर पर की गयी है। अतः इस शासनादेश की एक प्रति अपीलार्थी को अतिरिक्त सूचना के रूप में निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाए।

उत्तराखण्ड शासन
आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास अनुभाग
संख्या- /XVIII-(2)/14-10(40)/2014
देहरादून,दिनॉक जून,2014

अपीलीय अधिकारी/संयुक्त सचिव,
आपदा प्रबन्धन प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार,
'बी'विंग, तीसरी मंजिल, एन0डी0सी0सी0—II भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली— 110001

कृपया अवगत होना चाहें कि लोक सूचना अधिकारी/निजी सचिव, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन के पत्र— 193/193—मु0स0/सू0अ0/2014, दिनांक 04.04.2014 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत उप सचिव/केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आपदा प्रबन्धन प्रभाग—1, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं0—40—14/2013/एन0डी0एम0—I, दिनांक 21.03.2014 के माध्यम से प्राप्त श्री अजेन्द्र अजय, म0नं0—15 बी, लेन नं0—1, शास्त्री नगर, देहरादून— 248001 के अनुरोध पत्र दिनांक 28.02.2014 की प्रति बिन्दु सं0—03, 04 एवं 05 की सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु इस कार्यालय को अन्तरित की गयी है।

आवेदक के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दी गयी सूचना से असंतुष्ट होने पर आवेदक द्वारा प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई।

उप सचिव/प्रथम अपील अधिकारी, आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा बिन्दु संख्या—04 एवं 05 के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा की गई अपील पर सुनवाई करते हुए पारित आदेश दिनांक 19.06.2014(**प्रति संलग्न**) में अपीलार्थी के अनुरोध पत्र 28.02.2014 की प्रति निस्तारण/सुनवाई हेतु आपको प्रेषित किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।

अतः नियमानुसार सूचनाएं आवेदक को उपलब्ध कराये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न—यथोक्त।

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव/लोक सूचना अधिकारी।

संख्या— ( )/XVIII-(2)/14-10(40)/2014,तददिनांकित।

प्रतिलिपि श्री अजेन्द्र अजय, म0नं0—15 बी, लेन नं0—1, शास्त्री नगर, देहरादून—248001 को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव/लोक सूचना अधिकारी।